

न्यायालय:- अनुमण्डल दण्डाधिकारी, गढ़वा।
विविध वाद सं० - 345/2020 धारा 107 दं० प्र० सं०

बनाम राज्य पक्ष

की
संख्या
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की
गयी कार्रवाई के
बारे में टिप्पणी
तारीख सहित

आदेश

12/12/2020
यह अभिलेख आज लोक अदालत/ राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थापित किया गया। इस वाद की प्रकिया दिनांक..... 19/07/2019 को कायम होने की तिथि से विपक्षीगण आज तक लगातार अनुपस्थित है। प्रथम पक्ष राज्य पक्ष है और राज्य पक्ष की ओर से प्रकिया कायम होने की तिथि से अब तक उक्त शिकायत के आलोक में पुनः कोई पैरवी नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में प्रतीत होता है, कि प्रथम पक्ष को विपक्षी से शांति भंग होने की कोई संभावना नहीं रह गयी है। और न ही इस वाद में कोई अभिरुची है।

अतः प्रथम पक्षकार की अभिरुची एवं विपक्षीगण की अनुपस्थिति के अभाव में इस वाद की कार्यवाही लोक अदालत/राष्ट्रीय लोक अदालत में समाप्त की जाती है तथा विपक्षी को इस वाद की दायित्व से मुक्त किया जाता है।

राष्ट्रीय लोक अदालत के सदस्यगण

01. 

02. 

03.

